तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **जयनारायण व्यास विश्व विद्यालय जोधपुर बनाम आयुक्त नगर निगम जोधपुर** म्यूनिशपल अपील संख्या 07/2017 राज. नगर पालिका अधिनियम, 2009	नं0 अह इस ता जा
15.11.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थीपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। वकील अपीलार्थी ने जाहिर किया कि आदेश दिनांक 02.08.17 को दावाकृत राशि का 25 प्रतिशत राशि जमा कराने के लिए दिनांक 18.09.17 तक समय दिया गया, परन्तु मामला वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण सिण्डीकेट बैठक आयोजन कर उसमें निर्णय लिया जाना आवश्यक है कि इस न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील या निर्णय की पालना करने का निर्णय लेना बाध्य है अतः इस बाबत् अभी तक सिंडिकेट बैठक में निर्णय नहीं लिया गया इसलिए और अवसर दिया जाय। आगे अवसर नहीं दिया जाता है तो अपीलार्थी को वित्तीय भार पड़ेगा तथा न्याय की मंशा पूर्ण नहीं हो सकेगी अतः और अवसर दिये जाने की प्रार्थना स्वीकार की जाय। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 122 (ख) के अनुसार दावाकृत रकम का 25 प्रतिशत राशि नगर पालिका कार्यालय में जमा कराने का आज्ञापक प्रावधान होने से दावाकृत कर का निक्षेप में छूट नहीं दी गई परन्तु न्यायहित में आदेश दिनांक 02.08.2017 के द्वारा अपीलार्थी को दावाकृत कर रकम का 25 प्रतिशत राशि जमा कराने का अवसर दिनांक 18.09.17 तक दिया गया। दिनाक 02.08.17 से आदिनांक तक भी आदेश की पालना नहीं की गई, ऐसी स्थिति में अब अवसर दिया जाना न्यायोचित नहीं समझते है। अतः अपील में अधिनियम की धारा 122(ख) की पालना नहीं होने से निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। आदेश सुनाया गया।	